

ग्रामीण सेवा फॉलोअप शिविर

रिपोर्ट पटवारी हल्का उमाजी का खेडा

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम उमाजी का खेडा में खता संख्या 75 में खेतदार का नाम रामपाल पुत्र रूपा धाकड़ दर्ज है जो कि [अशुद्ध है] संलग्न दस्तावेज व स्थान पर रामलाल पुत्र रूपचन्द का नाम रामलाल पुत्र रूपचन्द धाकड़ है; अतः रामपाल पुत्र रूपा के बजाय रामलाल पुत्र रूपचन्द किया जाना उचित है।

[संलग्न]
पटवारी 22/12/2025

रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक वृत्त उमाजी का खेडा

तह. विजौलियाँ, जिला-भीलवाड़ा

महोदयजी,

निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी व संलग्न दस्तावेजों अनुसार प्रार्थी का नाम रामपाल के स्थान पर रामलाल दर्ज किया जाना उचित है। ग्राम उमाजी का खेडा संख्या - 71 व 75 में

रिपोर्ट तहसीलदार, विजौलियाँ

[संलग्न]
उमाजी का खेडा
22/12/25

कमंडा/रजस्व/केम्प/25/9

दिनांक 22.12.2025

महोदयजी,

निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी उमाजी का खेडा, ग्राम भू.अ.नि. उमाजी का खेडा व संलग्न दस्तावेजों अनुसार ग्राम-उमाजी का खेडा के जमावदी संख्या 2075-2078 के स्थान सं. 75 में रामपाल पुत्र रूपा के स्थान पर रामलाल पुत्र रूपचन्द दर्ज करने की अभियंता की जाती है।

आदेश

[हस्ताक्षर]
तहसीलदार
केम्प उमाजी का खेडा
तहसील विजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी स्वयं के प्रार्थना पत्र, संलग्न दस्तावेजों पटवारी उमाजी का खेडा भू.अ.नि. उमाजी का खेडा तहसीलदार विजौलियाँ की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम ग्राम उमाजी का खेडा के खता संख्या 71, 75 में रामपाल पुत्र रूपा धाकड़ के स्थान पर रामलाल पुत्र रूपचन्द धाकड़ दर्ज करने के आदेश पारित किए जाते हैं।

[हस्ताक्षर]
(अधीन सिंह राठौड़)
उपस्थान अधिकारी
ग्रामिण सेवा फॉलोअप शिविर 2025
भू. अभि. विजौलियाँ तह. विजौलियाँ



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, विजाँलियाँ
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2025 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान विजाँलियाँ

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी उमा जी का खेड़ा व भू.अ.नि. उमा जी का खेड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार विजाँलियाँ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम उमा जी का खेड़ा तहसील विजाँलियाँ जिला सीकराड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 में खाता संख्या 71, 75 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क.सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|-------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--|
| ① | उमा जी का खेड़ा | 71, 75 | रामपाल पुत्र रन्पा | रामपाल पुत्र रन्पचंद |



(अजीत सिंह राठौड़)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, विजाँलियाँ

क्रमांक :- 17/25

दिनांक :- 22/12/2025

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, विजाँलियाँ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रामपाल पुत्र रन्पचंद को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



(अजीत सिंह राठौड़)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, विजाँलियाँ